कृषि उपज समिति बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/13 से 3/16

भाग–एक

1. प्रस्तावना :–

(क) कृषि उपज समिति, बिलासपुर के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश कृषि एवम औद्यानिकीय उपज विपणन विधेयक 2005 की धारा 48.2 के प्रावधानों के दृष्टिगत इस विभाग द्वारा किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारी कृषि उपज समिति बिलासपुर में सचिव एवं आहरण व संवितरण अधिकारी के रूप कार्यरत्त रहे :–

क्र0सं0	सचिव एवं आहरण वितरण अधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर	1.4.2013 से 9.4.2013
2.	श्री सुशील गुलेरिया	10.4.2013 से 16.11.2014
3.	श्री प्रकाश कश्यप	17.11.2014 से 1.1.2015
4.	श्री अनिल चौहान	2.1.2015 से 6.2.2015
5.	श्री राधव सूद	7.2.2015 से 31.3.2016

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का विवरण :–

कृषि उपज समिति बिलासपुर के अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्नलिखित है :–

क्र0 सं0	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा सं0	राशि (₹) लाखों में
1.	सब मार्कीट यार्ड घुमारवी के निर्माण पर अपव्यय	6(क)	75.82
2.	दुकानों/बूथों के किरायेदारों से समिति द्वारा सर्विस टैक्स की वसूली न करना	7	10.03
3.	पंजीकृत व्यापारियों से मण्डी शुल्क की वसूली हेतु शेष राशि	8	8.71
4.	समिति द्वारा सर्विस टैक्स का समय पर भुगतान न करने पर पैनल्टी	9	7.30

	के रूप भुगतान करना		
5.	दुकानों/सब यार्डो से किराये की वसूली हेतु शेष राशि	10	4.66
6.	विपणन बोर्ड से विभिन्न कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	11	58.32
7.	चैक पोस्ट/वैरियर पर वसूली की जा रही विपणन शुल्क (Compounding fees) की कम वसूली	12	0.19

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में समाविष्ट पुराने लम्बित पैरों पर की गई कार्रवाई की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान समीक्षा की गई व कुछ पैरों का निपटारा किया गया। अतः परामर्श दिया जाता है कि पुराने लम्बित पड़े पैरों को प्राथमिकता के आधार पर निपटारे के लिए प्रयास किए जाएं। पैरों की नवीनतम स्थिति प्रतिवेदन के **परिषिष्ट (क)** पर दी गई है।

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

कृषि उपज समिति बिलासपुर के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखों का लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिए गए हैं, श्री चम्बेल सिंह परमार सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) व पुनीत शर्मा आर्टीकल सहायक द्वारा दिनांक 5.5.2016 से 25.6.2016 तक के दौरान कृषि उपज समिति बिलासपुर स्थित कार्यालय में किया गया। आय के लिए माह 9/2013, 9/2014 व 9/2015 व व्यय के लिए माह 1/2014, 8/2014 व 8/2015 का चयन विस्तृत जांच हेतु किया गया।

कृषि उपज समिति बिलासपुर द्वारा जो अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किए अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण तदानुसार ही किया गया। समिति द्वारा किसी प्रकार की अधूरी व अपूर्ण सूचना के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 शिमला–9 का कोई दायित्व नहीं होगा। विभाग का दायित्व केवल चयनित मासों तक ही सीमित है।

3. अंकेक्षण शुल्कः–

कृषि उपज समिति बिलासपुर के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹146386 आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की राशि को सहायक नियन्त्रक (ले0प0)

की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 41 दिनांक 21.6.2016 द्वारा समिति से अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि0 प्र0) शिमला–9 को भेज दिया है।

4. वित्तीय स्थिति :–

(क) कृषि उपज समिति बिलासपुर की अवधि 4/2013 से 3/2016 तक की वित्तीय स्थिति का ब्यौरा निम्न प्रकार से रहा। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 'ख'** में भी दिया गया है :–

क्र0 सं0	विवरण	वर्ष		
		2013–14	2014–15	2015–16
1.	प्रारम्भिक शेष	10342461	12841261	12447107
2.	प्राप्तियां/आय	10217510	9735161	10522505
3.	ब्याज	745726	908627	1363668
4.	कुल जमा	23105697	23485049	24333280
5.	व्यय	8464436	11037942	9774855
6.	अन्तशेष	12841261	12447107	14558425

दिनांक 31.3.2016 तक बैंक खातों व सावधि जमा योजना में निवेशित राशि का अन्तिम शेष का विवरण निम्नलिखित है :–

क्र0 सं0	बैंक का नाम	शाखा	खाता सं0	शेष राशि
1.	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक	स्वारघाट	1615	197073.43
2.	यूको बैंक मण्डी परिसर स्थित बिलासपुर	बिलासपुर	7	1602823.91
3.	आई0डी0बी0आई0 बैंक	बिलासपुर	14544	90761.00
4.	सवधि जमा योजना (एफ0डी0आर0) हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक	स्वारघाट	–	1674347.00
5.	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक	नम्होल	–	144041.00
6.	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक	लखनपुर	–	218856.00
7.	यूको बैंक मण्डी परिसर स्थित बिलासपुर	बिलासपुर	–	9391171.00

8.	आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक	बिलासपुर	—	250234.00
9.	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	बिलासपुर	—	1000000.00
10.	आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक	बिलासपुर	00042	946
			कुल योग	**₹14570253.34**
				या₹14570253

बैंक समाधान विवरणिका :—

(1) दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ वही के अनुसार अन्तशेष राशि (₹) ₹14558425

(2) दिनांक 31.3.2016 को विभिन्न बैंक खातों व सावधि जमा योजना में निवेशित राशि का अन्त शेष ₹14570253

(3) अन्तर राशि (₹)11828

(4) अन्तर का विवरण :—

दिनांक 31.3.2016 को बैंक से विभिन्न बैंक खातों में प्राप्त ब्याज की राशि की रोकड़ वही में प्रविष्टि न करना

क्र0 सं0	बैंक का नाम	खाता सं0	दिनांक	ब्याज राशि (₹)
(1)	आई0सी0आई0सी0 बैंक बिलासपुर	00042	31.3.2015	937
			31.3.2016	9
(2)	आई0सी0आई0सी0 बैंक बिलासपुर	14544	31.3.2016	10882
			योग राशि (₹)	**₹11828**

(ख) अंकेक्षणाधीन अवधि में आय एवं व्यय का विश्लेषण :—

अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत **परिशिष्ट क 'i'** के अनुसार आय व व्यय का विवरण निम्न प्रकार से रहा :—

वित्तीय वर्ष	कुल आय	कुल व्यय	ब्याज के अतिरिक्त आय	लाईसैंस फीस	विपणन शुल्क से आय	किराये से आय	वेतन मजदूरी पर व्यय	कार्यालय व्यय
2013—14	10963236	8464436	10217510	35800	8569212	1184830	3465113	289450
2014—15	10643788	11037942	9735161	23200	7593008	1459485	3368199	506315

2015—16	11886173	9774855	10522505	36700	8176415	1635739	3542860	385029

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुछ शीर्षों के अन्तर्गत वर्ष 2013—14 की अपेक्षा वर्ष 2014—15 में आय कम हुई है। वर्ष 2013—14 की शुद्ध आय ₹10217510 से 4.71% कम होकर वर्ष 2014—15 में ₹9735161 रह गई। वर्ष 2013—14 में प्राप्त लाईसैंस फीस आय ₹35800 से घट कर वर्ष 2014—15 में ₹23200 रह गई। विपणन शुल्क से वर्ष 2013—14 में प्राप्त आय ₹8569212 से घट कर वर्ष 2014—15 में ₹7593008 रह गई। इसके विपरीत कार्यालय व्यय वर्ष 2013—14 में ₹289450 से बढ़कर वर्ष 2014—15 में ₹506315 हो गया। अतः परामर्श दिया जाता है कि आय की बढ़ौतरी हेतु विशेष पग उठाए जाने हेतु लाईसैंस धारकों के लेखों का मूल्यांकन करते हुए मण्डी शुल्क का निर्धारण करना, बिना लाईसैंस के कारोबार कर रहे कारोबारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करते हुए चक्रवृद्धि दण्ड से मण्डी शुल्क की वसूली करना इत्यादि प्रयास किए जाएं, ताकि समिति की आय में बढ़ौतरी सुनिश्चित हो सके।

5. निवेश :—

कृषि उपज समिति बिलासपुर द्वारा अवधि 4/2013 से 31.3.2016 तक ₹12678649 राशि सावधि जमा योजना में निवेशित थी, जिसका विस्तृत विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट (ग) में दिया गया है। निवेश की गई राशियों को उनकी परिपक्वता तिथियों को भुनाया जाना/पुनः निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6. (क) सव मार्केट यार्ड घुमारवीं के निर्माण पर ₹75.82 लाख का अपव्यय :—

सव मार्केट यार्ड के निर्माण पर निम्न विवरणानुसार ₹7582275 का व्यय किया गया था।

निर्माण कार्य पर व्यय	7301089
पैंटिंग एवं डिस्टैम्परिंग पर व्यय	38376
बिजली ट्रांसफार्मेर पर व्यय	242810
कुल व्यय	**₹7582275**

सव मार्केट यार्ड घुमारवीं में 11 नंबर दुकानों एवं पलेटफार्म का निर्माण किया गया। दुकान नंबर एक कार्यालय उपयोग हेतु रखी गई थी अन्य दुकानों का आवंटन दिनांक 27.11.2014 को खुली बोली द्वारा निम्नानुसार किया गया।

क्र0 सं0	दुकान सं0	दुकानदार का नाम	प्रति माह किराया (₹)
1.	2	कोई बोली दाता नहीं	3700

2.	3	श्री किशोरी लाल	3600
3.	4	श्री दीना नाथ	3700
4.	5	श्री देश राज	3500
5.	6	श्री राकेश कुमार	2350
6.	7	श्री सतीश चन्द	2350
7.	8	श्री ओम प्रकाश प्रतिनिधि सहकारी सभा समिति अपर खैरियां	2200
8.	9	श्रीमति दीपा कुमारी	2250
9.	10	श्री सुरेश कुमार	2250
10.	11	श्री मदन लाल	2250

उपरोक्त आवंटियों द्वारा सव मार्केट यार्ड घुमारवीं में कार्य न होने पर निम्न विवरणानुसार दुकानें खाली कर दी।

क्र0 सं0	दुकान सं0	खाली करने की तिथि
1.	3	24.9.2015
2.	6	28.3.2016
3.	7	7.7.2015
4.	8	16.3.2016
5.	9	17.7.2015
6.	10	24.8.2015
7.	11	कब्जा नहीं लिया

सव मार्केट यार्ड घुमारवी से वर्ष 2014–15 व वर्ष 2015–16 के दौरान कोई मार्केट फीस व यूजर चार्जिज प्राप्त नहीं हुए तथा मार्केट यार्ड में कोई कार्य न होने के कारण दुकानदारों ने भी दुकानें खाली कर दी हैं। अब मात्र 2 दुकानें हैं, जिनका किराया प्राप्त हो रहा है। चर्चा में बताया गया कि सव मार्केट यार्ड घुमारवी का जहां निर्माण किया गया है। वह स्थान शहर से बाहर है तथा वहां पर कोई मार्केट नहीं है न ही गाड़ियों की आवाजाही हेतु सुविधा है, जिसके फलस्वरूप सव मार्केट यार्ड घुमारवीं में कोई कार्य नहीं हो रहा है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि सव मार्केट यार्ड घुमारवी के निर्माण पर ₹75.82 लाख का अपव्यय किया गया, जिसके निर्माण का व्यापारियों, ग्रोवर, जनता व विपणन समिति बिलासपुर को कोई लाभ नहीं हुआ है। अतः सव मार्केट यार्ड घुमारवी के निर्माण पर किए गए ₹77.82 लाख के अपव्यय के सम्बन्ध में मामला प्रबन्धक निदेशक हि0प्र0 विपणन बोर्ड के ध्यान में उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

(ख) दुकान नंबर 2 के आवंटन हेतु कोई कार्यवाही न करना :–

दिनांक 27.11.2014 को दुकानों के आवंटन के समय दुकान नंबर 2 हेतु कोई भी बोलीदाता उपस्थित नहीं हुआ था, जिससे इस दुकान का आवंटन नहीं किया जा सका था। विपणन समिति बिलासपुर द्वारा लगभग 20 माह का समय बीत जाने पर भी इस दुकान के आवंटन हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे विपणन समिति को किराये की भी हानि हुई है। दुकान नंबर दो के आवंटन हेतु कार्यवाही न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त इस दुकान का आवंटन शीघ्र सुनिश्चित किया जाए।

(ग) दुकान नंबर 11 का कब्जा सम्बन्धित आवंटी द्वारा नहीं किया गया था। दुकान का कब्जा न लेने पर सम्बन्धित बोलीदाता/दुकानदार के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही उसके द्वारा जमा प्रतिभूति ₹10000 को जब्त (Forfeit) किया गया था। इस दुकान के पुनः आवंटन हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः दुकान नंबर 11 का पुनः आवंटन न करने बारे एवं सम्बन्धित दुकानदार श्री मदन लाल के विरूद्ध कब्जा न लेने पर कार्रवाई न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त श्री मदन लाल आवंटी द्वारा जमा प्रतिभूति ₹10000 को जब्त करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(घ) दुकान नंबर 3,6,7,8,9,10,11 सम्बन्धित आवंटियों द्वारा उपरोक्त विवरणानुसार खाली कर दी गई है। इन दुकानों को पुनः आवंटित न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त इन दुकानों का आवंटन शीघ्र सुनिश्चित किया जाए।

7. ₹10.03 लाख सेवा कर की दुकानों/बूथों के किरायेदारों से वसूली न करना :–

हिमाचल प्रदेश कृषि उपज मण्डी समिति उप नियम 2007 के पैरा 62(xxi) में दिए गए प्रावधानानुसार सेवा कर दुकानों एवं बूथों के किरायेदारों से वसूल कर सम्बन्धित विभाग को जमा किया जाना अपेक्षित था। कृषि उपज मण्डी समिति बिलासपुर द्वारा दिनांक 5.6.2015 की बैठक में प्रस्ताव संख्या : 4 के अन्तर्गत केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर विभाग लगाए गए सेवा कर को हि0 प्र0 कृषि उपज मण्डी समिति उप नियम के पैरा 62(xxi) में दिए प्रावधानानुसार दुकानों एवं बूथों के किरायेदारों से वसूलने हेतु निर्णय लिया गया था। लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि कृषि उपज विपणन समिति बिलासपुर द्वारा वर्ष 2014–15 व 2015–16 के दौरान दिनांक 1.6.2007 से 31.3.2016 तक के सेवा कर का भुगतान ₹1078385 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर विभाग को किया गया था, जिसके विरूद्ध दुकानों एवं बूथों के किरायेदारों से मात्र ₹75768 की ही वसूली की गई तथा बूथों/दुकानों के किरायेदारों से ₹1002617 वसूली हेतु शेष थे, जिसका विवरण नीचे

दिया गया है। अतः सेवा कर की दुकानों/बूथों के किरायेदारों से वसूली योग्य शेष ₹1002617 की शीघ्र वसूली करके अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	वाउचर सं0/दिनांक	अवधि	सर्विस टैक्स की भुगतान राशि	सर्विस टैक्स की किरायेदारों से वसूली	वसूली योग्य शेष राशि
1.	18, 5.4.14	1.6.07 से 30.9.11	344315	—	344315
2.	229, 16.3.15	1.10.11 से 30.9.13	260499	—	260499
3.	92, 5.8.15	1.10.13 से 30.6.15	287702	—	287702
4.	190, 22.12.15	1.7.15 से 30.11.15	93221	—	93221
5.	205, 12.1.16	1.12.15 से 31.12.15	16880	—	16880
6.	222, 5.2.16	1.1.16 से 31.1.16	11488	11488	—
7.	248, 4.3.16	1.2.16 से 29.2.16	16106	16106	—
8.	266, 31.3.16	1.3.16 से 31.3.16	48174	48174	—
		जोड़	**₹1078385**	**₹75768**	**₹1002617**

उपरोक्त मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 34, दिनांक 8.6.2016 द्वारा सचिव, विपणन समिति के ध्यान में लाया गया। सचिव विपणन समिति बिलासपुर द्वारा पत्र संख्या : APML/3. 83/2012–603, दिनांक 9.6.2016 द्वारा सूचित किया कि सेवा कर की वसूली किरायेदारों से कर ली जाएगी।

8. कृषि उपज समिति के पंजीकृत व्यापारियों से मण्डी शुल्क ₹8.71 लाख वसूली हेतु शेष :–

कृषि उपज समिति बिलासपुर के मण्डी शुल्क से सम्बन्धित अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि समिति द्वारा निम्न विवरणानुसार मण्डी शुल्क विभिन्न व्यापारियों से ₹871360 वसूली हेतु शेष थी, परन्तु मण्डी समिति द्वारा इस राशि की वसूली हेतु कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकीय उपज विपणन (विकास एवं) विनियमन विधेयक 2005 की धारा 66 के प्रावधानों के अनुसार समिति, सम्बन्धित व्यापारियों से बकाया मण्डी शुल्क की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करे तथा सम्बन्धित व्यापारियों से राशि की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्र0	लैजर	दिनांक	जिस	फर्म का नाम	31.3.2016

सं0	खाता सं0		दिनांक से मामला उठाया गया		को वसूली योग्य राशि (₹)
1.	4	31.10.06	29.6.1993	मैसर्ज हिमाचल करियाना स्टोर बिलासपुर	311626
2.	6	12.2.12	9.8.1991 व 4.2.1996	मैसर्ज चेत राम एण्ड कम्पनी घाघस	40938
3.	8	31.10.2006	3.2.1993	मैसर्ज शंकर दास मीट विक्रेता तलाई	1754
4.	9	31.10.2006	5.1.1994 व 8.2.1996	मैसर्ज लेख राम घुमारवीं	19512
5.	10	31.3.2013	3.5.1998	मैसर्ज कौंडल एण्ड कम्पनी घाघस	126288
6.	11	31.10.2006	8.2.1996	हजूरदीन मीट विक्रेता	24000
7.	16/22	29.3.2013	27.1.2007	मैसर्ज गुप्ता जनरल स्टोर जुखाला	2000
8.	19	10.5.2007	10.5.2007	मैसर्ज रोशन लाल ठाकुर दुकान नंबर 20 बिलासपुर	24000
9.	21	21.6.2012	8.4.2008	मैसर्ज गणपति कत्था उद्योग	303270
10.	23	31.3.2013	3.5.1998	मैसर्ज कौंडल एण्ड कम्पनी घुमारवीं	17972
			कुल योग (₹)		**₹871360**

9. सेवा कर (Service Tax) का समय पर भुगतान न करने के कारण दण्ड (Penalty) के रूप में ₹7.30 लाख का अपव्यय :–

सेवा कर अधिनियम के प्रावधानानुसार सेवा कर का भुगतान प्रति माह पांच तारीख से पहले किया जाना अपेक्षित था, लेकिन विपणन समिति बिलासपुर द्वारा सेवा कर अधिनियम एवं हि0 प्र0 कृषि उपज विपणन समिति उप नियम 2007 के पैरा 62(xxi) में दिए गए प्रावधानानुसार सेवा कर दुकानों/बूथों के किरायेदारों से वसूल करके केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर विभाग में जमा नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर विभाग द्वारा ₹730296 का दण्ड समिति को लगाया, जिसका भुगतान कृषि उपज विपणन समिति बिलासपुर द्वारा निम्नानुसार किया गया।

क्र0 सं0	वा0 सं0	दिनांक	जिस अवधि का दण्ड जमा किया गया	भुगतान (₹)
1.	93	5.8.2015	1.6.2007 से 30.9.2011	344315

2.	253	18.3.2016	1.10.2011 से 31.3.2015	385981
			कुल	**₹730296**

उपरोक्त मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 34, दिनांक 8.6.2016 द्वारा सचिव विपणन समिति बिलासपुर के ध्यान में लाया गया। सचिव विपणन समिति बिलासपुर द्वारा सूचित किया कि उपरोक्त दण्ड का भुगतान प्रबन्धक निदेशक, हि0प्र0 विपणन बोर्ड द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार किया गया है। यह आदेश सेवा कर जमा न करने के सम्बन्ध में सेवा कर कमीशनर चण्डीगढ़ में की गई अपील को सेवा कर कमीशनर चण्डीगढ़ द्वारा खारिज करने पर जारी किए गए थे। उसके पश्चात दण्ड ₹730296 का भुगतान किया गया था। सेवा कर अधिनियम में सेवा कर के भुगतान के सम्बन्ध स्पष्ट दिशा–निर्देश होने पर सेवा कर का भुगतान दुकानों/बूथों के किरायेदारों से सेवा कर की वसूली करके कर दिया होता तो अनावश्यक रूप से विपणन समिति निधि से सेवा कर पर दण्ड के रूप में ₹730296 का अपव्यय न होता। सेवा कर पर दण्ड के भुगतान करने बारे मामला उच्चाधिकारियों के ध्यान में उचित कार्रवाई एवं आवश्यक नियमितिकरण हेतु लाया जाता है।

10. दुकानों/सब मार्कीट यार्ड से प्राप्त होने वाला किराया ₹4.66 लाख वसूली हेतु शेष :–

कृषि उपज समिति बिलासपुर के परिसर में स्थित दुकानों व सब मार्कीट यार्ड के किराये से सम्बन्धित अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2016 तक परिशिष्ट (ध) के अनुसार ₹465647 किराये के रूप में वसूली हेतु शेष थी। कृषि उपज समिति द्वारा नियमित रूप से किराये की वसूली न करने के कारण समिति की आय में कमी आई है। अतः परामर्श दिया जाता है कि हिमाचल प्रदेष कृषि एवं औद्योगिकीय उपज विपणन एवं विनियमन विधेयक 2005 की धारा 66 के अन्तर्गत सभी दुकानदारों से किराये की वसूली सुनिश्चित की जाए अन्यथा सम्बन्धित दुकानदारों को कानूनी नोटिस जारी करके न्यायिक प्रक्रिया शीघ्र अपनाई जाए। इस सन्दर्भ में कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11. विपणन बोर्ड से ₹58.32 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना :–

कृषि उपज समिति बिलासपुर के अंकेक्षण अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान समिति द्वारा विभिन्न कार्यों, (डिपोजिट वर्क) के एवज में विपणन बोर्ड के पास निम्न विवरणानुसार ₹5832377 जमा करवाई गई, परन्तु इन राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए। अतः समिति द्वारा विपणन बोर्ड से सम्बन्धित कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करने का

औचित्य स्पष्ट करें तथा बोर्ड से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करके सत्यापनार्थ आगामी अंकेक्षण में करवाना सुनिश्चित करें।

क्र0 सं0	दिनांक	वा0 नं0	कार्य का नाम	डिपोजिट वर्क राशि
1.	1.5.2013	29/1	निर्माण सब यार्ड घुमारवीं	300000
2.	1.5.2013	29/2	–यथोपरि–	300000
3.	24.12.2013	172/1	–यथोपरि–	500000
4.	1.2.2014	210/1	रिपेयर व मुरम्मत कार्य ट्राईलेट ब्लॉक मार्कीट यार्ड बिलासपुर	201900
5.	1.2.2014	210/2	निर्माण कार्य सब मार्कीट यार्ड घुमारवीं	701089
6.	10.6.2014	51	–यथोपरि–	242810
7.	16.6.2014	56	रिटेनिंग वॉल का निर्माण मार्कीट यार्ड बिलासपुर	400000
8.	2.8.2014	90	विभिन्न स्थानों पर एकत्रीकरण केंद्रों का निर्माण	1144366
9.	1.10.2014	130	रिटेनिंग वॉल का निर्माण व विश्राम गृह के शौचालय का मुरम्मत कार्य	343982
10.	213.2015	235	रिटेनिंग वॉल निर्माण मार्कीट यार्ड बिलासपुर	118500
11.	31.3.2015	243/1	फुट ब्रिज निर्माण मार्कीट यार्ड बिलासपुर	44203
12.	3.8.2016	88	सब मार्कीट यार्ड का निर्माण मजारी बिलासपुर	689498
13.	8.3.2016	251/1	रिपेयर व मुरम्मत तथा सफेदी (White washing) सब यार्ड तलाई	417257
14.	8.3.2016	251/2	एकत्रीकरण केंद्र जमली का निर्माण	115300
15.	31.3.2016	265	रिपेयर व मुरम्मत कार्य सब यार्ड नम्होल बिलासपुर	313472
			कुल योग	**₹5832377**

12. चैक पोस्ट/वैरियर पर वसूल किए जा रहे विपणन शुल्क की निर्धारित दर की अपेक्षा कम दर से वसूली करने के कारण ₹0.19 लाख की सम्भावित हानि :–

लेखा परीक्षा के दौरान स्वारघाट चैक पोस्ट/वैरियर पर चयनित मासों के दौरान प्राप्त मण्डी की जांच करने पर पाया गया कि हि0प्र0 कृषि एवं औद्योगिकी उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 45(3) के यदि बिना लाईसैंस के अनियमित रूप से यदि कोई व्यक्ति/फर्म व्यावसाय करता है, तो उससे 5 गुणा दण्ड के साथ विपणन शुल्क एकत्र किया जाना अपेक्षित है, जिसके अनुसार अनाधिकृत रूप से कारोबार करने वाले व्यापारियों से 5 प्रतिषत की दर से विपणन शुल्क एकत्र किया जाना अपेक्षित था। स्वारघाट वैरियर पर अनाधिकृत रूप से व्यापार कर रहे व्यापारियों से उपरोक्त नियमों की अनदेखी कर कम विपणन शुल्क एकत्र किया गया था। निर्धारित दर की अपेक्षा कम दर से वसूली करने के कारण विपणन समिति को ₹19409 की सम्भावित हानि हुई है, जिस बारे पूर्ण छानबीन करने के उपरान्त नियमानुसार स्थिति स्पष्ट की जाए अथवा उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान चयनित माह के अतिरिक्त अन्य माह में भी ऐसे प्रकरण को चिन्हित करके स्वरूप कार्रवाई करने के साथ–साथ भविष्य में सही दर से नियमानुसार विपणन शुल्क प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। विपणन शुल्क की कम प्राप्त राशि का विवरण निम्न प्रकार से है।

क्र0 सं0	**व्यापारी का नाम**	**रसीद सं0**	**दिनांक**	**समग्री का विवरण**	**रजिस्टर में दर्ज सामग्री का मूल्य**	**विपणन शुल्क की प्राप्त राशि ₹**	**विपणन शुल्क की प्राप्ति योग्य राशि ₹**	**कम प्राप्त राशि ₹**
1.	मै0 तोहिर पोलटरी फार्म लेह	9507	9.9.13	बशमलर	120000	1200	6000	4800
2.	मै0 तोहिर पोलटरी फार्म लेह	9608	16.9.13	–यथोपरि–	120000	1200	6000	4800
3.	मै0 तोहिर पोलटरी फार्म लेह	9946	24.9.13	–यथोपरि–	120000	1200	6000	4800
4.	मै0 स्टॉर वैग ए0जी0	15469	4.9.14	लकड़ी	500858	20034	25043	5009
					कुल राशि			**₹19409**

13. कृषि उपज समिति बिलासपुर द्वारा पंजीकृत व्यापारियों के लाईसैन्सों का नवीनीकरण न करने के कारण ₹0.17 लाख की वसूली न करने बारे :–

कृषि उपज समिति बिलासपुर के लाईसैन्स रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार समिति द्वारा पंजीकृत व्यापारियों के लाईसैन्सों का नवीनीकरण नहीं किया, जिसके कारण समिति को ₹17024 की हानि हुई। अतः समिति द्वारा हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) विधेयक 2005 की धारा 40 के अन्तर्गत लाईसैन्सों का नवीनीकरण न करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा वर्णित लाईसैन्स धारकों के विरूद्ध पूर्ण छानबीन करने के उपरान्त लागू नियमों/अधिनियों के अन्तर्गत उचित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	फर्म का नाम	लाईसैन्स सं0	कार्य का विवरण	अवधि जब से लाईसैन्स का नवीनीकरण नहीं हुआ है	शुल्क जो वसूल नहीं की गई (₹)
1.	मै0 शंकर वेशन इडस्ट्रीज गेहडवी	ए0पी0एम0सी0 (40)56	खाद्य सामग्री	1.4.13 से 31.3.16	912
2.	मै0 महामाया जनरल स्टोर सोलग	ए0पी0एम0सी0 (40)81	करियाना	1.4.13 से 31.3.16	912
3.	मै0 न्यू रोपड डायरी	ए0पी0एम0सी0 (40)91	दूध	1.4.15 से 31.3.16	304
4.	मै0 सुपर करियाना स्टोर	ए0पी0एम0सी0 (40)173/348 2013–14	करियाना	1.4.15 से 31.3.16	304
5.	मै0 दी भाखड़ा चावल सहकारी सभा सीमित	ए0पी0एम0सी0 (40)191	करियाना	1.4.13 से 31.3.16	912
6.	मै0 चडड़ा टेडिग कम्पनी	ए0पी0एम0सी0 40(255)	करियाना	1.4.13 से 31.3.16	912
7.	मै0 संजय कुमार घुमारवीं	ए0पी0एम0सी0 40(263)	अण्डे विक्रेता	1.4.13 से 31.3.16	912
8.	मै0 पवन कुमार	ए0पी0एम0सी0	फल एवं	1.4.13 से 31.3.16	912

	चडडा	40(270)	सब्जी		
9.	मै0 नासिर मुहम्मद	ए0पी0एम0सी0 40(287)	मीट विक्रेता	1.4.13 से 31.3.16	912
10.	मै0 चद्र शेखर	ए0पी0एम0सी0 40(326) 2013–14	करियाना	1.4.14 से 31.3.16	608
11.	मै0 शर्मा फ्रूट कम्पनी	ए0पी0एम0सी0 40(331) 2013–14	फल व सब्जी	1.4.15 से 31.3.16	304
12.	मै0 लवली इन्टरप्राईजिज	ए0पी0एम0सी0 40(334) 2013–14	करियाना	1.4.15 से 31.3.16	304
13.	मै0 माजिद मुहम्मद	ए0पी0एम0सी0 40(339) 2013–14	मीट विक्रेता	1.4.15 से 31.3.16	304
14.	मै0 कांशी राम एण्ड सन्ज	ए0पी0एम0सी0 40(341) 2013–14	मीट विक्रेता	1.4.15 से 31.3.16	304
15.	मै0 मोहिंद्र कत्था उद्योग	ए0पी0एम0सी0 40(342) 2013–14	कत्था लकड़ी	1.4.15 से 31.3.16	304
16.	मै0 मुश्ताक अहमद	ए0पी0एम0सी0 40(359) 2013–14	मीट विक्रेता	1.4.14 से 31.3.16	608
17.	मै0 ठाकुर मीट शॉप	ए0पी0एम0सी0 40(360) 2013–14	मीट विक्रेता	1.4.14 से 31.3.16	608
18.	मै0 रॉयल फर्नीचर हाऊस	ए0पी0एम0सी0 40(365) 2013–14	लकड़ी	1.4.15 से 31.3.16	304
19.	मै0 सुदामा मल गंगा राम	ए0पी0एम0सी0 40(367) 2013–14	पंसारी	1.4.15 से 31.3.16	304
20.	मै0 दी वाडी वाला फिशमैन औद्योगिक सहकारी सोसाईटी	ए0पी0एम0सी0 40(377) 2013–14	मछली	1.4.15 से 31.3.16	304
21.	मै0 दी बी0बी0एन0 हाईटैक प्रोस्सैसिंग यूनिट	ए0पी0एम0सी0 40(378) 2013–14	करियाना	1.4.15 से 31.3.16	304

22.	मै दी कहलूर गोबिंद सागर मत्सय उद्योग	ए0पी0एम0सी0 40(380) 2013–14	मछली	1.4.14 से 31.3.16	608
23.	मै0 राकेश कुमार एण्ड बद्रर्स	ए0पी0एम0सी0 40(388) 2013–14	फल व सब्जी	1.4.15 से 31.3.16	304
24.	मै0 राणा चिकन कॉर्नर	ए0पी0एम0सी0 40(390) 2013–14	मीट	1.4.15 से 31.3.16	304
25.	मै0 कामधेनू आर्युवैदिक फार्मेशी	ए0पी0एम0सी0 40(402) 2014–15	दवाईयां	1.4.15 से 31.3.16	304
26.	मै0 विशन दास मीट शॉप	ए0पी0एम0सी0 40(403) 2014–15	मीट विक्रेता	1.4.15 से 31.3.16	304
27.	मै0 माजिद मुहम्मद	ए0पी0एम0सी0 40(408) 2014–15	मीट विक्रेता	1.4.15 से 31.3.16	304
28.	मै0 चमन लाल	ए0पी0एम0सी0 40(412) 2014–15	फल व सब्जी	1.4.15 से 31.3.16	304
29.	मै0 विकास कुमार	ए0पी0एम0सी0 40(413) 2014–15	मीट बिक्रेता	1.4.15 से 31.3.16	304
30.	मै0 शिवालिक फ्रूट कम्पनी	ए0पी0एम0सी0 40(414) 2014–15	फल व सब्जी	1.4.15 से 31.3.16	304
31.	मै0 चण्डीगढ़ फ्रूट कम्पनी	ए0पी0एम0सी0 40(417) 2014–15	फल व सब्जी	1.4.15 से 31.3.16	304
32.	मै0 ग्राम सेवा को0ओ0 सोसाईटी	ए0पी0एम0सी0 40(418) 2014–15	फल	1.4.15 से 31.3.16	304
33.	मै0 नेगी फ्रूट कम्पनी	ए0पी0एम0सी0 40(419) 2014–15	फल व सब्जी	1.4.15 से 31.3.16	304
34.	मै0 राम सहाई कुलदीप चंद	ए0पी0एम0सी0 40(420) 2014–15	फल व सब्जी	1.4.15 से 31.3.16	304
35.	मै0 हिमाचल होमों फर्नीचरिंग व होटल फर्नीचर	ए0पी0एम0सी0 40(422) 2014–15	ईमारती लकड़ी	1.4.15 से 31.3.16	304
36.	मै0 सुनील ट्रेडर्ज	ए0पी0एम0सी0	मीट विक्रेता	1.4.15 से 31.3.16	304

		40(389) 2015–16			
37.	मै0 कमाक्षा फ्रूट कम्पनी	ए0पी0एम0सी0 40(383) 2015–16	फल व सब्जी	1.4.15 से 31.3.16	304
38.	मै0 मुस्कान ट्रेडिंग कम्पनी	ए0पी0एम0सी0 40(381) 2015–16	करियाना	1.4.15 से 31.3.16	304
				कुल योग (₹)	**₹17024**

14. कृषि उपज समिति द्वारा मण्डी शुल्क ₹3723 की कम वसूली बारे :–

कृषि उपज समिति बिलासपुर के पंजीकृत व्यापारियों द्वारा प्रत्येक वर्ष अपना वित्तीय लेखा–जोखा (विवरण) हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) विधेयक 39(2) (xvi) के अन्तर्गत उचित प्रपत्रों पर भरकर समिति को प्रस्तुत करना अनिवार्य है, ताकि उनके मण्डी शुल्क का आंकलन ठीक ढ़ग से किया जा सके। अवलोकन पर पाया गया कि निम्नलिखित व्यापारियों द्वारा नियमानुसार ₹3723 कम मण्डी शुल्क जमा करवाया गया है, जिसकी वसूली सम्बन्धित व्यापारियों से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(i) मैसर्ज दी ज्योर फिश मैन औसटिज मछली को0 ओ0 सोसाईटी ज्योर जगातखाना के अवधि 1.8.2015 से 31.8.2015 के फार्म "M/O" का अवलोकन करने पर पाया गया कि फर्म द्वारा माह 8/2015 के दौरान ₹1030441 की मछली खरीद का कारोबार किया गया था, जिस पर मण्डी शुल्क 1% की दर से ₹10304 जमा किया जाना अपेक्षित था, लेकिन उपरोक्त फर्म द्वारा गणना में गलती के कारण ₹680441 के क्रय पर रसीद संख्या : 286514, दिनांक 8.9.2015 द्वारा 1% मण्डी शुल्क की दर से ₹6804 जमा किए गए थे, जिसके फलस्वरूप मण्डी शुल्क की राशि ₹3500 (₹10304–₹6804) कम जमा किए गए थे। अतः कम जमा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके विपणन समिति निधि में जमा करवाकर अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

(ii) कामधेनू कृषक एवं उपभोक्ता हितकारी मंच नम्होल जिला बिलासपुर द्वारा फार्म "ओ" पर अपनी कारोबार से सम्बन्धित मासिक विवरण प्रस्तुत करके 1% की दर से विपणन शुल्क जमा किया गया था। कुछ मामलों में गणना में गलती के कारण ₹223 कम जमा की गई थी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। कम जमा राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	माह/वर्ष	दूध एकत्रित प्रति लीटर	मूल्य (₹)	राशि (₹)	1% मार्कीट फीस जो ली गई	वास्तव में 1% मार्कीट फीस	अन्तर राशि (₹)

1.	8/2013	295128.5	24.91	7351650	73506	73516	10
2.	9/2013	282614	24.96	7054045	70529	70540	11
3.	10/2013	268542	25.23	6775314	67745	67753	8
4.	12/2013	267234	25.56	6830501	68297	68305	8
5.	4/2014	312116.5	27.45	8567598	85661	85676	15
6.	7/2014	349374.5	27.43	9513468	95121	95135	14
7.	9/2014	377442.5	27.65	10436285	104354	104363	9
8.	3/2015	413954	27.59	11420991	114201	114210	9
9.	5/2015	452241.5	27.92	12626582	123253	126265	13
10.	8/2015	481681	28.23	13597855	135968	135979	11
11.	10/2015	466036	28.61	13333290	133311	133333	22
12.	11/2015	425913	28.11	11972414	119704	119724	20
13.	12/2015	440735.5	28.29	12468407	124671	124684	13
14.	1/2016	463373	28.09	13016148	130141	130161	20
15.	2/2016	440698	28.15	12405649	124035	124056	21
16.	3/2016	517157	28.29	14630371	146285	146304	19
						कुल योग	**₹223**

15. ₹1000 की कम वसूली :–

सब मार्केट यार्ड घुमारवीं में दुकान नंबर 6 का आवंटन श्री राकेश कुमार को ₹3500 प्रति माह किराये पर किया गया था। श्री राकेश कुमार द्वारा दुकान का कब्जा दिनांक 15.1.2015 को लिया था तथा सब मार्केट यार्ड में कार्य न होने पर दिनाक 28.3.2016 को दुकान खाली करने के सम्बन्ध में आवेदन दिया था। निम्न विवरणानुसार की गई गणना के अनुसार श्री राकेश कुमार से दिनांक 15.1.2015 से 31.3.2016 तक ₹3500 प्रति माह किराये की दर से ₹50919 प्राप्त किए जाने थे, जबकि उनसे गणन में गलती के कारण ₹49919 ही प्राप्त किए गए थे। ₹1000 (₹50919–₹49919) की कम वसूली की गई थी, जिनकी वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

<u>किराये की प्राप्ति योग्य राशि का विवरण</u>		<u>प्राप्ति का विवरण</u>		
अवधि	**प्राप्ति योग्य राशि (₹)**	**रसीद सं0**	**दिनांक**	**प्राप्त राशि (₹)**

15.1.15 से 31.1.15 ₹3500 प्रति माह	1919	18287	23.1.15	1919
		18357	9.2.15	3500
1.2.15 से 31.3.16 (₹3500x14 माह)	49000	19097	9.3.15	3500
		19543	5.5.15	7000
जोड़	**₹50919**	289313	28.3.16	13000
	प्रति भूति एवं अग्रिम किराया राशि समायोजित=			**₹21000**

किराये की कम वसूली (₹50919–₹49919)=₹1000 योग=₹49919

16. ₹950 का अधिक भुगतान :–

(क) श्री राघव सूद सचिव कृषि उपज विपणन समिति बिलासपुर को उनके दिल्ली प्रवास के दौरान हिमाचल भवन दिल्ली में ठहरने पर ₹100 प्रति दिन होटल किराये एवं ₹250 दैनिक भत्ते का भुगतान किया गया था, जबकि हिमाचल भवन दिल्ली में ठहरने पर उन्हें दैनिक भत्ते का ही भुगतान किया जाना था। हिमाचल भवन दिल्ली में ठहरने पर किए गए किराये का भुगतान होटल चार्जिज के रूप में उन्हें नियमानुसार देय नहीं था। अतः निम्न विवरणानुसार हिमाचल भवन में ठहरने पर होटल चार्जिज की भुगतान की गई ₹800 की उचित माध्यम से वसूली सुनिश्चित की जाए।

क्र0 सं0	वा0 सं0	दिनांक	राशि (₹)	हिमाचल भवन में ठहरने की अवधि	होटल किराये की भुगतान राशि (₹)	टिप्पणी
1.	87	8/2015	24409	5.5.15,15.5.15	200	₹100 प्रति दिन की दर से
2.	89	8/2015	3145	1.7.15 से 2.7.15	200	
3.	110	8/2015	12480	26.4.15से 29.4.15	400	
				कुल ₹	**800**	

(ख) ₹150 का अधिक भुगतान :–

श्री राघव सूद सचिव के माह 7/2015 के यात्रा भत्ता दावे का भुगतान वाउचर संख्या : 89, माह 8/2015 द्वारा कुल ₹3145 से ₹2300 अग्रिम के कम करके ₹845 का किया गया था। भुगतान की जांच करने पर पाया गया कि श्री राघव सूद द्वारा दिनांक 3.7.2015 को दिल्ली से बिलासपुर प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक यात्रा दर्शाई गई थी, जिसके भत्ते के लिए उन्हें निम्न विवरणानुसार ₹234 भुगतान किया गया था।

दिनांक	दैनिक भत्ता	दर (₹)	भुगतान राशि (₹)

3.7.2015	70%	84	59
	70अ	250	175
		कुल	**₹234**

श्री राघव सूद को दिनांक 3.7.2015 को यात्रा के दौरान देय दैनिक भत्ते का भुगतान 84 प्रति दिन की दर से ₹84 का किया जाना अपेक्षित था। श्री राघव सूद को ₹150 का अधिक भुगतान किया गया था, जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाए।

17. श्री सुशील कुमार गुलेरिया, सचिव को गलत दर से वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने के कारण ₹485 के वेतन का अधिक भुगतान करना :–

श्री सुशील कुमार गुलेरिया को कार्यालय आदेश संख्या : HMB(B)6–5/2009, दिनांक 16.2.2010 द्वारा अनुबन्ध के आधार पर सचिव के पद पर ₹10830 के Fixed वेतन पर नियुक्त किया गया था, जिसका पदभार उन्होंने दिनांक 22.2.2010 को ग्रहण किया था। तत्पश्चात वित्त विभाग हि0प्र0 सरकार के पत्र संख्या : Fin(c)B(7)5/2009, दिनांक 3.12.2009 द्वारा जारी अनुदेशों के दृष्टिगत कार्यालय आदेश संख्या : HMB(B)6–5/2009, दिनांक 31.5.2010 द्वारा उनका वेतन सचिव के पद पर 1.1.2006 से लागू संशोधित वेतनमान ₹10300–₹34800+₹5000 ग्रेड़ पे में संशोधित करके उक्त वेतनमान के न्यूनतम स्तर 10300+5000 ग्रेड़ पे ₹15300 पर निर्धारित किया गया था। वित्त विभाग हि0प्र0 के पत्र संख्या : Fin(c)B(7)5/2009, दिनांक 22.11.2013 द्वारा जारी स्पष्टीकरण के दृष्टिगत उन्हें समय–समय पर देय वार्षिक वेतन वृद्धि की 3% दर से (₹15300x3%) ₹459 प्रत्येक वर्ष फिकस ही रहनी चाहिए थी, किन्तु इन अनुदेशों के विपरीत उन्हें दिनांक 1.2.2011, 1.2.2012 व 1.2.2013 को क्रमश : ₹460, ₹480 व ₹487 वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करके वेतन का लाभ प्रदान किया गया, जिसके कारण उन्हें दिनांक 10.4.2013 से 31.1.2014 तक अर्थात विपणन समिति बिलासपुर में कार्यकाल के दौरान निम्नानुसार ₹485 के वेतन का अधिक भुगतान किया गया, जिसकी वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

अवधि	**आहरित वेतन (₹)**	**देय वेतन (₹)**	**अन्तर (₹)**	**अधिक भुगतान (₹)**
10.4.13 से 30.4.13	11709	11674	35	35
1.5.13 से 31.1.14 (9 माह)	16727	16677	50	450
			कुल जोड़	**₹485**

18. लाईसैन्सधारियों से निर्धारित प्रपत्र "ओ" पर विवरणी प्राप्त न करने बारे :–

कृषि उपज समिति बिलासपुर द्वारा निम्न विवरणानुसार लाईसैन्सधारकों से हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र "ओ" पर विवरणी प्राप्त नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप उनसे देय मण्डी शुल्क की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः समिति द्वारा निर्धारित फार्म "ओ" पर विवरणियां प्राप्त न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इन प्रकरणों में नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित कार्रवाही करके देय मण्डी शुल्क का निर्धारण करके उसकी वसूली करनी सुनिश्चित की जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	फर्म का नाम	अवधि
1.	मै0 महावीर ट्रेडिग कम्पनी	30.1.16 से 31.3.16
2.	मै0 शर्मा जनरल स्टोर हरलोग	17.3.16 से 31.3.16
3.	मै0 प्रभाकर ट्रेडर्ज बिलासपुर	1.1.16 से 31.3.16
4.	मै0 दी बड़ोल मत्सय सहकारी सभा समिति दाड़ीबाडी	1.2.15 से 31.3.15, 1.6.15 से 31.7.15 1.10.15 से 31.1.16
5.	मै दी ज्योर फिशमैन औसाटिज को0 ओ0 सोसाईटी जगातखाना	1.1.16 से 31.1.16
6.	मै0 राकेश कुमार चोपड़ा घुमारवीं	1.9.15 से 31.3.16
7.	मै0 नयना जनरल स्टोर घाघस	12.1.15 से 22.4.15
8.	मै0 फर्नीचर फैक्ट्ररी बिलासपुर	1.4.15 से 31.3.16
9.	मै0 मोहिंद्र कुमार एण्ड सन्ज	1.1.16 से 31.3.16
10.	मै0 राकेश टिम्बर	20.10.15 से 31.3.16
11.	मै0 एस0एस0एल0 टिम्बर स्टोर	1.3.16 से 31.3.16
12.	मै0 प्रेल लाल एण्ड कम्पनी	26.9.15 से 31.3.16
13.	मै0 कामधेनु कृषक एवं उपभोक्ता हितकारी मंच नम्होल	1.5.14 से 30.6.14
14.	मै0 शिव कत्था उद्योग दयोथ	1.4.13 से 16.2.14 1.4.2015 से 11.6.15
15.	मै0 सुरेश कुमार एण्ड सन्ज	1.4.15 से 31.3.16
16.	मै0 ठाकुर दास प्रवेश कुमार	8.9.15 से 31.3.16
17.	मै0 पंकज इन्टरप्राईजिज घुमारवीं	31.10.15 से 31.3.16
18.	मै0 सांलिग राम जगदीश कुमार घुमारवीं	1.1.16 से 31.3.16
19.	मै0 बलवीर सिंह एण्ड ब्रदर्स	1.4.15 से 31.3.16

20.	मै0 चंदेल ब्रांड गणेश प्रोडक्स	1.4.15 से 31.3.16
21.	मै0 हेम राज एण्ड सन्ज कुठेडा	4.1.16 से 31.3.16
22.	मै0 जगननाथ एण्ड कम्पनी	31.12.15 से 31.3.16
23.	मै0 विशन दास वृज लाल तरधेल	1.7.15 से 31.3.16
24.	मै0 दुर्गा जनरल स्टोर पन्तेहडा	26.8.15 से 31.3.16
25.	मै0 प्रकाश फूड देलग	26.8.15 से 31.3.16
26.	मै0 बालढा मछली मार्कीट को0 ओ0 सोसाईटी चांदपुर	1.1.16 से 31.3.16
27.	मै0 बहमणी कला औसटिज मत्सय सहकारी सभा कौसरियां घुमारवीं	1.4.15 से 31.3.16
28.	मै0 दी जै0 श्री डैम औस्टीज मत्सय सहकारी सभा झण्डुता	21.3.15 से 31.3.16
29.	मै0 दी मातला सहकारी सभा समिति मातला	1.1.16 से 31.3.16
30.	मै0 दी भाखड़ा फिशमैन औद्योगिक सोसाईटी भाखड़ा	1.4.13 से 31.3.14 1.4.15 से 31.7.15 21.9.15 से 31.3.16
31.	मै0 दी नकराणा फिशमैन को0ओ0 सोसाईटी नकराणा	1.4.13 से 31.3.14 1.2.16 से 31.3.16
32.	मै0 दी बोरी वाला फिशमैन को0ओ0 सोसाईटी बोरी वाला	1.12.15 से 31.3.16
33.	मै0 दी गोबिंद सागर औस्टीज फिशमैन सहकारी सभा समिति बिलासपुर	1.4.15 से 31.5.15 1.12.15 से 31.3.16
34.	मै0 दी गाह धोडी पिछड़ा वर्ग मत्सय औद्योगिक सहकारी सभा ग्राह धोडी पपलोआ झण्डूता	1.1.15 से 31.3.16
35.	मै0 दामिनी थोक विक्रेता घुमारवीं	30.1.15 से 31.3.16
36.	मै0 जनता चिकन कॉर्नर झण्डूता	21.8.14 से 30.11.14
37.	मै0 पॉल ट्रेडिंग कम्पनी घुमारवीं	26.11.15 से 31.3.16

19. मण्डी समिति बिलासपुर की पंजीकृत फर्मों द्वारा वार्षिक लेखा का निर्धारण न करना :–

हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकीय उपज विपणन (साधारण) नियम 2006 की धारा 41 के अन्तर्गत प्रत्येक पंजीकृत कारोबारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर गत वित्तीय वर्ष का लेखा–जोखा 30 जून तक समिति को प्रस्तुत करना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा निम्न विवरणानुसार व्यापारियों से वार्षिक लेखों का निर्धारण नहीं किया गया है, जो नियमों के

विपरीत है। अतः समिति द्वारा पंजीकृत फर्मों से वार्षिक लेखों से सम्बन्धित विवरण प्राप्त न करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही करनी सुनिश्चित करें तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	फर्म का नाम	कार्य का विवरण	लाईसैन्स नंबर	अवधि जब से वार्षिक लेखों का निर्धारण नहीं किया है
1.	मै0 राकेश कुमार चोपड़ा	करियाना	ए0पी0एम0सी0 40–61, 2011–12	1.4.14 से 31.3.16
2.	मै0 फर्नीचर फैक्टरी	लकड़ी	ए0पी0एम0सी0 40–62, 2011–12	1.4.14 से 31.3.16
3.	मै0 मोहिंद्र कुमार एण्ड सन्ज	लकड़ी	ए0पी0एम0सी0 40(224), 2014–15	1.4.13 से 31.3.16
4.	मै0 राकेश कुमार टिम्बर	लकड़ी	ए0पी0एम0सी0 40(282), 2014–15	1.4.13 से 31.3.16
5.	मै0 एस0एस0एल0 टिम्बर	लकड़ी	ए0पी0एम0सी0 40–37, 2011–12	1.4.13 से 31.3.16
6.	मै0 प्रेम लाल एण्ड सन्ज	लकड़ी	ए0पी0एम0सी0 40–207, 2011–12	1.4.13 से 31.3.16
7.	मै0 सुखदेव टिम्बर	लकड़ी	ए0पी0एम0सी0 40–150, 2011–12	1.4.13 से 31.3.16
8.	मै0 कामधेनू कृषक एवं उपभोक्ता हितकारी मंच नम्होल	दूध	ए0पी0एम0सी0 40(960), 2011–12	1.4.13 से 31.3.16
9.	मै0 शिवा कत्था उद्योग	लकड़ी	ए0पी0एम0सी0 40–391, 2008–09	1.4.13 से 31.3.16
10.	मै0 सुरेश कुमार एण्ड सन्ज	करियाना	ए0पी0एम0सी0 40–168, 2008–09	1.4.13 से 31.3.16
11.	मै0 ठाकुर दास प्रवेश कुमार	करियाना	ए0पी0एम0सी0 40(47), 2008–09	1.4.13 से 31.3.16
12.	मै0 पंकज इन्टरप्राईजिज	करियाना	ए0पी0एम0सी0 40(96), 2008–09	1.4.13 से 31.3.16
13.	मै0 सालिग राम जगदीश कुमार	करियाना	ए0पी0एम0सी0	1.4.14 से 31.3.16

			40(209), 2008—09	
14.	मै0 वलबीर सिंह एण्ड ब्रदर्ज	करियाना	ए0पी0एम0सी0 40(84), 2008—09	1.4.13 से 31.3.16
15.	मै0 चंदेल ब्राड़ गणेश प्रोडक्स	खाद्य सामग्री	ए0पी0एम0सी0 40(85), 2008—09	1.4.13 से 31.3.16
16.	मै0 जगन नाथ एण्ड कम्पनी	करियाना	ए0पी0एम0सी0 40(133), 2008—09	1.4.14 से 31.3.16
17.	मै0 हेम राज एण्ड सन्ज	करियाना	ए0पी0एम0सी0 40(08), 2008—09	1.4.14 से 31.3.16
18.	मै0 विशन दास वृज लाल	करियाना	ए0पी0एम0सी0 40(51), 2011—12	1.4.14 से 31.3.16
19.	मै0 दुर्गा जनरल स्टोर	करियाना	ए0पी0एम0सी0 40(093), 2011—12	1.4.14 से 31.3.16
20.	मै0 प्रकाश फूड प्रोडक्ट	खाद्य सामग्री	ए0पी0एम0सी0 40(11), 2011—12	1.4.13 से 31.3.16
21.	मै0 वालदा मछली औद्योगिक सोसाईटी	मछली	ए0पी0एम0सी0 40(333), 2011—12	1.4.13 से 31.3.16
22.	मै0 ब्रहमणी कला औसटीज मत्सय सहकारी सभा	मछली	ए0पी0एम0सी0 40(395), 2014—15	1.4.13 से 31.3.16
23.	मै0 दी जै श्री डेम औसटीज फिशमैन	मछली	ए0पी0एम0सी0 40(396), 2014—15	1.4.13 से 31.3.16
24.	मै0 दी मातला सहाकारी सभा समिति	मछली	ए0पी0एम0सी0 40(229), 2013—14	1.4.13 से 31.3.16
25.	मै0 दी भाखड़ा फिशमैन औद्योगिक सोसाईटी	मछली	ए0पी0एम0सी0 40(393), 2014—15	1.4.13 से 31.3.16
26.	मै0 दी नकराणा फिशमैन सोसाईटी	मछली	ए0पी0एम0सी0 40(394), 2014—15	1.4.13 से 31.3.16
27.	मै0 दी बोरी वाला फिशमैन सोसाईटी	मछली	ए0पी0एम0सी0 40(165), 2012—13	—यथोपरि—
28.	मै0 दी गोबिंद सागर को0 ओ0	मछली	ए0पी0एम0सी0	1.4.13 से 31.3.16

	सोसाईटी		40(368), 2013—14	
29.	मै0 गाह धोडी पिछड़ा वर्ग मत्सय औद्योगिक सहकारी सभा समिति	मछली	ए0पी0एम0सी0 40(109), 2008—09	1.4.13 से 31.3.16
30.	मै0 दामिनी थोक विक्रेता घुमारवीं	मीट	ए0पी0एम0सी0 40(293), 2013—14	1.4.13 से 31.3.16
31.	मै0 जनता चिकन कॉर्नर झण्डूता	मीट	ए0पी0एम0सी0 40(345), 2014—15	1.4.13 से 31.3.16
32.	मै0 झटका मीट शॉप	मीट	ए0पी0एम0सी0 40(346), 2014—15	1.4.13 से 31.3.16
33.	मै0 राम नाथ मीट शॉप	मीट	ए0पी0एम0सी0 40(344), 2014—15	1.4.13 से 31.3.16
34.	मै0 मुश्ताक अहमद मीट शॉप	मीट	ए0पी0एम0सी0 40(352), 2014—15	1.4.13 से 31.3.16
35.	मै0 पॉल ट्रेडिंग कम्पनी घुमारवीं	करियाना	ए0पी0एम0सी0 40(298), 2014—15	1.4.13 से 31.3.16
36.	मै0 अनमोल ट्रेडिंग कम्पनी	करियाना	ए0पी0एम0सी0 40(343), 2013—14	1.4.13 से 31.3.16
37.	मै0 डोगरा ड्रग फार्मेशी	दवाईयां	ए0पी0एम0सी0 40(402), 2013—14	1.4.13 से 31.3.16
38.	मै0 बी0बी0एन0 फूड	खाद्य सामग्री	ए0पी0एम0सी0 40(378), 2013—14	1.4.13 से 31.3.16
39.	मै0 पी0एल0 सन्ज	खाद्य सामग्री	ए0पी0एम0सी0 40(465), 2013—14	1.4.13 से 31.3.16
40.	मै0 अन्नपूर्ण फूड प्रोडक्स	खाद्य सामग्री	ए0पी0एम0सी0 40(149), 2010—11	1.4.13 से 31.3.16
41.	मै0 राकेश कुमार चोपडा	करियाना	ए0पी0एम0सी0 40(70), 2008—09	1.4.14 से 31.3.16

20. समिति द्वारा मण्डी शुल्क का भाग बोर्ड को प्रेषित करने से सम्बन्धित पावती प्राप्त न करना :—

कृषि उपज मण्डी समिति बिलासपुर के अंकेक्षण अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखों की जांच में पाया गया कि समिति द्वारा निम्न विवरणानुसार मण्डी शुल्क के 25% भाग की राशि प्रबन्ध निदेशक विपणन बोर्ड शिमला को प्रेषित की गई, परन्तु बोर्ड से राशि प्राप्ति की रसीद प्राप्त नहीं की गई, जिसे शीघ्र प्राप्त करके इसका सत्यापन आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	दिनांक	वा0 सं0	अवधि देय मण्डी शुल्क	राशि (₹)
1.	9.6.2015	50	1.2.2015 से 31.3.2015	276505
2.	12.10.2015	148	1.7.2015 से 30.9.2015	643413
3.	8.3.2016	249	1.1.2016 से 29.2.2016	242860

21. ₹0.30 लाख की अस्थाई अग्रिम राशियों का समायोजन न करना :–

विपणन समिति बिलासपुर द्वारा निम्न विवरणानुसार कर्मचारियों को भुगतान ₹30000 की गई अस्थाई अग्रिम राशियों का समायोजन नहीं किया गया था। अतः अस्थाई अग्रिम राशियों के समायोजन से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान आवश्यक सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	वा0 सं0/दिनांक	कर्मचारी/अधिकारी का नाम/पद	उद्धेशय	अग्रिम भुगतान राशि (₹)
1.	227, 4.3.15	श्री जयपाल कौशल मण्डी पर्यवेक्षक	किसान प्रशिक्षण शिविर हेतु अग्रिम	10000
2.	209, 20.1.16	श्री राघव सूद (सचिव)	मार्केटिंग सिस्टम हेतु	20000
			कुल	**₹30000**

22. स्थापना:–

अंकेक्षणाधीन अवधि 4/2013 से 3/2016 तक कृषि उपज मण्डी बिलासपुर में कार्यरत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्थिति निम्नलिखित हैः–

क्र0 सं0	पद का नाम	संशोधित वेतनमान	स्वीकृत पद	भरे गए पद	रिक्त पद	अनुबन्धक के आधार एवं दैनिक भोगी
1.	सचिव	10300–34800	1	1	–	नियमित नियुक्ति
2.	मण्डी पर्यवेक्षक	10300–34800	1	1	–	नियमित नियुक्ति
3.	नीलामी अभिलेखक	10300–34800	1	–	1	रिक्त

4.	सहायक नीलामी अभिलेखक	5910—20200	1	1	—	अनुबन्ध आधार पर
5.	कनिष्ठ सहायक / लिपिक	5910—20200	3	3	—	नियमित नियुक्ति
6.	चपड़ासी / चौकीदार	4900—10680	3	3	—	नियमित नियुक्ति
7.	लेखाकार	10300—34800	1	1	—	—

23. लघु आपत्ति विवरणिका :— यह अलग से जारी नहीं की गई।

24. निष्कर्ष :— लेखाओं के रख—रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / —
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन (एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)77 / 84 खण्ड—6—5213—5216 दिनांक शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

पंजीकृत

1. सचिव कृषि उपज विपणन समिति बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्यवाही करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजने सुनिश्चित करें।
2. प्रबन्ध निदेशक हि0प्र0 कृषि राज्य विपणन बोर्ड विपणन भवन, खलीनी शिमला—2
3. अवर सचिव, (कृषि) हि0प्र0 सरकार शिमला—2

हस्ता / —
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

परिशिष्ट (क) पैरा संख्या 1 (घ)

(क) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 4/94 से 3/95

1	पैरा–6 (5)	अनिर्णीत	

(ख) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/95 से 3/98

1	पैरा–7 (ग)	अनिर्णीत	
2	पैरा–7 (ङ)	अनिर्णीत	

(ग) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2005

1	पैरा–11 (1 से 5)	अनिर्णीत	

(घ) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2008

1	पैरा–12 (1)	अनिर्णीत	

(ड.) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2009

1	पैरा–12 (1)	अशंत निर्णीत	(कुछ उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुए तथा शेष अपेक्षित हैं)
2	पैरा–12 (2)	अनिर्णीत	
3	पैरा–17 (1)	अनिर्णीत	

(च) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

1	पैरा–11	अनिर्णीत	(₹45000 की वसूली अपेक्षित है)
2	पैरा–12 (1 से 6)	अनिर्णीत	
3	पैरा–24	अनिर्णीत	
4	पैरा–25	अनिर्णीत	

(छ) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2013

1	पैरा–3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क ₹68143 ड्राफ्ट संख्या : 787131, दिनांक 18.5.2013 द्वारा जमा कर दिया है)
2	पैरा–4	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है)
3	पैरा–5	निर्णीत	

4	पैरा–6	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है)
5	पैरा–7	निर्णीत	(–यथोपरि–)
6	पैरा–8	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है)
7	पैरा–9	अनिर्णीत	
8	पैरा–10	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
9	पैरा–11 (क)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
10	पैरा–11 (ख)	अनिर्णीत	
11	पैरा–12	अनिर्णीत	
12	पैरा–13 (क)	निर्णीत	(₹2296, रसीद संख्या : 13119, दिनांक 24.3.14 द्वारा जमा करवा दिए गए।)
13	पैरा–13 (ख)	अनिर्णीत	
14	पैरा–14	निर्णीत	(₹725 की वसूली विभिन्न रसीदों के माध्यम से कर ली गई है, जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गई है।)
15	पैरा–15	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
16	पैरा–16 (क)	निर्णीत	(सूचनार्थ)
17	पैरा–16 (ख)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
18	पैरा–16 (ग)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
19	पैरा–17	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
20	पैरा–18	अनिर्णीत	
21	पैरा–19	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
22	पैरा–20	अनिर्णीत	
23	पैरा–21	अनिर्णीत	
24	पैरा–22 (क)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
25	पैरा–22 (ख)	निर्णीत	(₹1200 की वसूली रसीद संख्या : 16757, दिनांक 21.11.15 द्वारा कर ली गई।)
26	पैरा–23 (क,ख,ग)	अनिर्णीत	
27	पैरा–24	निर्णीत	(₹359 रसीद संख्या : 1182, दिनांक 15.3.2014 द्वारा जमा करवा दिए गए हैं।)
28	पैरा–25	निर्णीत	(₹300 रसीद संख्या : 16773, दिनांक 24.6.2016 द्वारा जमा कर दिए गए हैं)
29	पैरा–26	निर्णीत	(विपणन बोर्ड रसीद संख्या : 033, दिनांक 6.1.2012 द्वारा ₹792195 जमा करवा दिए गए हैं)
30	पैरा–27	निर्णीत	(राशि रसीद संख्या : 100, दिनांक 9.10.2012 द्वारा प्राप्त कर ली गई, जिसकी पुष्टि अंकेक्षण में कर ली गई है)
31	पैरा–28	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)